संख्या–1672 / 9–आ–3–2004–240 काम्प / 2001

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
   महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

2. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

3. नियत प्राधिकारी
   समस्त विनियमित क्षेत्र
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 | लखनऊ : दिनांक 9 जून, 2004

विषय : *रिलायन्स इन्फोकाम लि० द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों (एम.सी.एन.) की स्थापना के संबंध में।*

महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिलायन्स इन्फोकोम लि० द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों (एम.सी.एन.) की स्थापना के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :

1. रिलायन्स इन्फोकाम लि० द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजो (एम.सी.एन.) को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं की श्रेणी में माना जायेगा।

2. रिलायन्स इन्फोकाम लि० द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों (एम.सी.एन.) हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल चूंकि 2500 वर्ग मी० प्रस्तावित है। अतः महायोजना / जोनल प्लान / ले–आउट प्लान में चिन्हित स्थलों एवं जॉनिग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य स्थलों पर ही भूमि की चयन किया जायेगा और इसके लिए नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

3. प्रस्तावित 2500 वर्ग मी० क्षेत्रफल में से 400 वर्ग मी० भू–अच्छादन से अधिक के अधिभोगो हेतु अग्निशमन सुरक्षा एन.ओ.सी. तथा 500 वर्ग मी० भू–अच्छादन से अधिक अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्था अनिवार्य होगी।

4. कम्पनीसे प्राप्त भवन मानचित्रों का मानचित्र जमा करने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। कृपया शाखा के उपरोक्त निर्णयनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(जे. एस. मिश्र)

सचिव